

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : पीजी/2009/374

दिनांक : २४.५.०९

समस्त संयुक्त निदेशक (जोन)

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

विषय:- सेवारत चिकित्सकों (पीजी) को कार्यमुक्त नहीं करने बाबत।

संदर्भ:- निदेशालय के पत्र पीजी, 2009/282 दिनांक 15.4.09

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि कन्वेनर केन्द्रीय पीजी एडमिशन बोर्ड एवं प्रिन्सीपल एस.पी. मेडीकल कॉलेज, बीकानेर द्वारा प्राप्त आदेश स्पेशल-1/2 दिनांक 28.5.09 के निर्देशानुसार सेवारत चिकित्सकों (पीजी) में चयन के उपरान्त दिनांक 30.5.09 को अग्रिम मुद्रण लघु पी.जी. कोर्स हेतु कार्यमुक्त नहीं करें।

संयुक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : पीजी/2009/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थसे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कन्वेनर केन्द्रीय पीजी एडमिशन बोर्ड एवं प्रिन्सीपल एस.पी. मेडीकल कॉलेज, बीकानेर द्वारा प्राप्त आदेश स्पेशल-1/2 दिनांक 28.5.09 के क्रम से।
2. प्रधानाचार्य, मेडीकल कॉलेज, जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर को सूचनार्थ।
3. प्रभारी, सरवर, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया विभाग की वेव साइट पर डालने हेतु।
4. आदेश पत्रावली।

६०

संयुक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर